न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 78/2021 Cases No. 2021/197
दायरा तिथि : 08.09.2021
निर्णय तिथि: 10-08-2022

वादी :–
पुखराज उर्फ पकाराम पुत्र श्री हकमारामजी जाति मेघवाल
निवासी लालराई तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:–
1. श्री हनुमानसिंह चौहान..... अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार..... पैरोकार सरकार की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 10-08-2022

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर वादी के खातेदारी में दर्ज भूमि ग्राम लालराई के खसरा नंबर 1131 रकबा 0.57 हैक्टर का रकबा वादी को दिनांक 05.02.1983 को आवंटित रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा (0.92 हैक्टर) से कम होने से भू0प्रबन्ध विभाग की त्रुटि को दुरस्त कर वादी को माफिक आवंटित रकबा भूमि 05 बीघा 15 बिस्वा के तूल्य भूमि अर्थात् 0.92 हैक्टर का खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। वादी ने अपने वादपत्र में इसका आधार यह बताया कि वादी को गांव लालराई की सरहद में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 05.02.1983 को गांव लालराई में स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 645 मी. में पौने छः बीघा भूमि किस्म बारानी दोयम का आवंटन किया गया तथा भूमि का कब्जा सुपुर्द करते हुये नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 06.02.1983 के जरिये वादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। जिसका इन्द्राज तत्कालिन जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में किया गया। भू0प्रबन्ध बाद के अधिकार अभिलेखों में वादी को हाल खसरा नंबर 1131 रकबा 0.57 हैक्टर का ही खातेदार दर्ज किया, जबकि वादी आवंटित रकबे के अनुसार पुरी भूमि 0.92 हैक्टर पर काबिज है। जिससे माफिक आवंटन रेकर्ड में भूमि बतौर खातेदारी दर्ज नहीं होने से 0.35 हैक्टर कमी रकबे की भरपाई हेतु 0.35 हैक्टर का खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में वादी अधिवक्ता द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य राजस्व नक्शा प्रदर्श **EX- 01** नक्शा किश्तवार प्रदर्श **EX- 02**, आवंटन आदेश प्रदर्श **EX- 03** , गिरदावरी प्रमाण पत्र प्रदर्श **EX- 04** वर्तमान नक्शा प्रदर्श **EX- 05**, ग्राम लालराई के गत् खसरा नंबर 645 रकबा 46 बीघा 19 बिस्वा सिवायक चक होने की पुष्टि में जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 की प्रति प्रदर्श **EX- 06** , आवंटन की पालना में नामान्तरकरण संख्या 73 भरा जाकर स्वीकृत होने की पुष्टि में नामा0 की प्रति प्रदर्श **EX- 07** की प्रति पेश की, गत् खसरा नंबर 645 से हाल खसरा नंबर बनने की पुष्टि में मिलान क्षैत्रफल की प्रति प्रदर्श **EX- 08** पेश की। खसरा गिरदावरी की प्रति प्रदर्श **EX- 09** पेश की, वादी के नाम सैटलमेंट बाद के वर्तमान अधिकार अभिलेखों में भूमि 0.57 हैक्टर खातेदारी दर्ज होने की पुष्टि में प्रदर्श **EX- 10** की प्रति पेश की, इसके साथ ही प्रदर्श **EX- 11** व प्रदर्श **EX- 12** वर्तमान नक्शा व वर्तमान जमाबंदी की प्रतियाँ पेश की गई। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह **P.W- 01** वादी स्वयं पुखराज के बयान कलम बद्ध कराये गये ।

प्रकरण में प्रतिवादी को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी तहसीलदार, बाली ने गत् व हाल रेकर्ड के संबंध में जांच करते हुये जांच रिपोर्ट मय निरीक्षक भू0अ0 बाली व पटवारी हल्का, लालराई की मौका फर्द सहित अपने कार्यालय पत्रांक/ प्रगासअ/भू0अ0./2021/908 दिनांक 29.11.2021 से प्रस्तुत की गई। तहसीलदार, बाली मय पटवारी हल्का, सेसली व निरीक्षक भू0अ0 बाली द्वारा दिनांक 24.11.2021 को तैयार मौका फर्द के अनुसार ग्राम लालराई के खसरा नंबर 1131 रकबा 0.57 हैक्टर किस्म बारानी खातेदार पकाराम पुत्र हकमाराम जाति मेगवाल का मौका देखा गया। मौके पर खसरा नंबर 1131 एवं 1130 में पकाराम का 0.92 हैक्टर पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये दस्तावेज अनुसार दिनांक 05.02.1983 को आवंटन 5 बीघा 15 बिस्वा खसरा नंबर 645 बारानी दोयम से आवंटन अधिकारी द्वारा किया गया। वक्त सैटलमेंट खसरा नंबर645 बारानी दोयम से नये बने खसरा नंबर 1131 रकबा 0.57 हैक्टर दर्ज कर दिया गया। जबकि आवंटन आदेश अनुसार 0.92 हैक्टर आवंटित हुआ था, उक्त त्रुटि सैटलमेंट के दौरान् हुई। मौके पर पकाराम का कब्जा 0.92 हैक्टर में है। खसरा नंबर 1130 रकबा 1.35 हैक्टर किस्म गै.मु. वाली राजकीय सिवाय चक दर्ज है तथा खसरा नंबर 1135 रकबा 1.56 हैक्टर गै.मु. रास्ता दर्ज हैं। वादी का कब्जा खसरा नंबर 1131 रकबा 0.57 हैक्टर तथा शेष 0.35 हैक्टर कब्जा खसरा नंबर 1130 एवं 1138 में है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को जवाबदावा मानते हुये दावे व जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में पृथक से वाद बिन्दु कायम किये गये। वादी पक्ष की साक्ष्य के पश्चात् उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:–

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 78/2021 Gcms No. 2021/197

अनवान पुखराज उर्फ पकाराम बनाम बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

1. आया वादी दिनांक 05.02.1983 को भू0 आवंटन अधिकारी द्वारा ग्राम लालराई के गत् खसरा नंबर 645 मी. रकबा पौने सैतालीस बीघा किस्म बारानी दोयम में आवंटित 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसका नामान्तरकरण संख्या 73 वादी के पक्ष में दिनांक 06.02.1983 को स्वीकृत हुआ। इस भूमि के भू0 प्रबन्ध पश्चात् के बने हाल खसरा नंबर में 5 बीघा 15 बिस्वा के तूल्य रकबा 0.92 हैक्टर की दुरस्ती के माध्यम से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है?.....वादी

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व वादी का था। वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये आवंटन आदेश प्रदर्श **EX- 03** में वर्णित अनुसार वादी को दिनांक 05.02.1983 को भू0 आवंटन अधिकारी द्वारा ग्राम लालराई के गत् खसरा नंबर 645 मी. रकबा पौने सैतालीस बीघा किस्म बारानी दोयम में से 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवंटन होना प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 73 प्रदर्श **EX- 07** की प्रति के अनुसार आवंटन की पालना में भरा जाकर दिनांक 06.02.1983 को स्वीकृत होने की पुष्टि होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल की प्रति प्रदर्श **EX- 08** में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम लालराई के हाल खसरा नंबर 1131, 1132, 1133 गत् खसरा नंबर 645 मी. एवं 584 मी. से बनना जाहिर है। वादी ने अपने वाद में गत् खसरा नंबर 645 मी. में आवंटित भूमि 5 बीघा 15 बिस्वा के तूल्य भूमि 0.92 हैक्टर भू0प्रबन्ध बाद के अधिकार अभिलेखों में खातेदारी दर्ज नहीं होने तथा हाल खसरा नंबर 1131 में रकबा 0.57 हैक्टर का ही खातेदार दर्ज करने से कमी रकबा (0.92–0.57)=0.35 हैक्टर की इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से भरपाई करते हुये कमी दर्ज रकबा 0.35 हैक्टर का खातेदार दर्ज किये जाने की मांग की गई है, परन्तु अपने वादपत्र में कहीं पर यह वर्णित नहीं किया कि वादी को आवंटित भूमि का रकबा कौनसे हाल खसरा नंबर में सम्मिलित किया गया है। वादी को चाहिये था कि वह गत् खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबर का ओवरलेपिंग मेप तैयार कर अपना पक्ष साबित करते। परन्तु वादी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल की प्रति के अनुसार भी हाल खसरा नंबर 1131 गत् खसरा नंबर 645 मी. एवं 584 मी. से बना है। इसके साथ ही प्रतिवादी तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधियो के द्वारा दिनांक 24.11.2021 को देखे गये मौके की जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसके अनुसार वादी का कब्जा हाल खसरा नंबर 1131 रकबा 0.57 हैक्टर की भूमि एवं खसरा नंबर खसरा नंबर 1130 एवं 1138 में रकबा 0.35 हैक्टर पर है। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 1130 रकबा 1.35 हैक्टर किस्म गै.मु. वाली राजकीय सिवाय चक दर्ज है तथा खसरा नंबर 1135 रकबा 1.56 हैक्टर गै.मु. रास्ता दर्ज हैं। इस प्रकार यद्यपि वादी का कब्जा खसरा नंबर 1130 व 1138 की 0.35 हैक्टर भूमि पर कब्जा है, परन्तु यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि **गै.मु. रास्ता एवं गै.मु. वाली किस्म की भूमियॉ टिनेन्सी एक्ट की धारा 16** के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियॉ है, जिससे खसरा नंबर 1130 व 1138 की भूमि मेंसे वादी को चाही गई खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। जिससे तनकी संख्या–01 वादी के विरूद्व व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार ही नया रिकार्ड तैयार किया गया एवं हाल खसरा नंबर 1131 का रकबा 0.57 हैक्टर ही होने से वादी को मौके पर कब्जे के अनुसार खसरा नंबर 1131 रकबा 0.57 हैक्टर का खातेदार दर्ज किया गया हैं?.....प्रतिवादी

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादी पक्ष का था। मिलान क्षैत्रफल की प्रति प्रदर्श **EX- 08** में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम लालराई के गत् खसरा नंबर 645 मी. से बने हाल हाल खसरा नंबर 1131 का रकबा 0.57 हैक्टर है। गत् नंबर से बने हाल खसरा नंबर के मिलान के लिये मिलान क्षैत्रफल एक विधि मान्य दस्तावेज है, जिसकी सत्यता पर किसी प्रकार शक करना या गलत मानना न्याय संगत नहीं है, जब तक कि उक्त मिलान क्षैत्रफल को गलत करार दिये जाने बाबत् गत् एवं हाल नक्शे के ओवरलेपिंग की स्थिति प्रकट नहीं की जाती। यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार ही गत् रिकार्ड से नया रिकार्ड संधारित किया जाता है। इस प्रकार भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् वादी का कब्जा गत् खसरा नंबर 645 मी. से बने हाल खसरा नंबर 1131 रकबा 0.57 हैक्टर ही मौके पर उपलब्ध होने तथा वादी का कब्जा भी रकबा 0.57 हैक्टर पर होने से वादी को 0.57 हैक्टर का खातेदार दर्ज किया गया। शेष भूमि मौके पर रास्ता व वाली की होने से खसरा नंबर 1130 व 1138 में दर्ज की गई है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

3. आया मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल खसरा नंबर 1130, 1132, व 1133 गत् खसरा नंबर 584 मी. के भू0भाग से बनने तथा हाल खसरा नंबर 1130 रकबा 1.35 हैक्टर किस्म गै.मु. वाली एवं हाल खसरा नंबर 1138 रकबा 1.56 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता होने से प्रतिबंधित भूमियॉ होने से वादी का वाद काबिज खारिज है?..

.....प्रतिवादी

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादी पेरोकार सरकार का था। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल की प्रति प्रदर्श **EX- 08** में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम लालराई के हाल खसरा नंबर 1131, 1132, 1133 गत् खसरा नंबर 584 मी. एवं 645 मी. से बनना जाहिर है। तथा यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि हाल खसरा नंबर 1130 रकबा 1.35 हैक्टर किस्म गै.मु. वाली एवं हाल खसरा नंबर 1138 रकबा 1.56 हैक्टर की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। इस सबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियो के अवलोकन से यह प्रमाणित हैं कि गै.मु. रास्ता व गै.मु. वाली किस्म की भूमियॉ प्रतिबंधित भूमियॉ है। तथा प्रतिबंधित भूमियॉ होने से खातेदारी नहीं दी जा सकती है। जिससे उनकी तनकी प्रतिवादी तहसीलदार, बाली के पक्ष में तथा वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

4. अनुतोष ?.....

तनकी संख्या 01 से 03 वादी के विरूद्व निर्णित होने से अन्य कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं रहता है।

पेज लगातार.....03

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 78/2021 Gcms No. 2021/197

अनवान पुखराज उर्फ पकाराम बनाम बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

तनकी संख्या 01 से 03 वादी के विरूद्व निर्णित होने तथा वादी को आवंटित गत् 645 मी. में आवंटित 05 बीघा 15 बिस्वा के भू0 भाग से मौका स्थिति अनुसार हाल खसरा नंबर 1131 रकबा 0.57 हैक्टर ही होने तथा हाल खसरा नंबर 1130 रकबा 1.35 हैक्टर की किस्म गै.मु. वाली तथा हाल खसरा नंबर 1138 रकबा 1.56 हैक्टर की किस्म गै.मु. रास्ता होने से प्रतिबंधित भूमियॉ होने से वादी दुरस्ती के माध्यम से कमी दर्ज रकबा 0.35 हैक्टर की अतिरिक्त खातेदारी पाने का अधिकारी नही रहता है। लिहाजा वाद वादी धारा 88 टिनेन्नसी एक्ट. सपठित धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
(सुश्री धापूबाई सहल नाना)
बाली, जिला-पाली (राज)
आर.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 10-08-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.**

वादी :–

पुखराज उर्फ पकाराम पुत्र श्री हकमारामजी जाति मेघवाल
निवासी लालराई तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 78 / 2021 Gcms No. 2021 / 197

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :– तनकी संख्या 01 से 03 वादी के विरूद्व निर्णित होने तथा वादी को आवंटित गत् 645 मी. में आवंटित 05 बीघा 15 बिस्वा के भू0 भाग से मौका स्थिति अनुसार हाल खसरा नंबर 1131 रकबा 0.57 हैक्टर ही होने तथा हाल खसरा नंबर 1130 रकबा 1.35 हैक्टर की किस्म गै.मु. वाली तथा हाल खसरा नंबर 1138 रकबा 1.56 हैक्टर की किस्म गै.मु. रास्ता होने से प्रतिबंधित भूमियॉ होने से वादी दुरस्ती के माध्यम से कमी दर्ज रकबा 0.35 हैक्टर की अतिरिक्त खातेदारी पाने का अधिकारी नही रहता है। लिहाजा वाद वादी धारा 88 टिनेन्सी एक्ट. सपठित धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10-08-2022को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner